भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1186

जिसका उत्तर मंगलवार, 10 फरवरी, 2026/21 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

फिनटेक इकोसिस्टम में डिजिटल धोखाधड़ी में वृद्धि

1186. श्रीमती संगीता यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की हाल ही में की गई टिप्पणी पर ध्यान दिया है कि देश के फिनटेक इकोसिस्टम में डिजिटल धोखाधड़ी में हो रही वृद्धि एक बड़ी चुनौती बन गई है;

(ख) यूपीआई और यूनिफाइड जेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) सहित डिजिटल वित्तीय प्लेटफार्मों में डेटा एकीकरण, उपभोक्ता संरक्षण और धोखाधड़ी रोकथाम तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और सभी नागरिकों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और डिजिटल रूप से कम साक्षर उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक सुरक्षित और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त नियामक, तकनीकी या जागरुकता-आधारित उपाय करने का विचार रखती है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सरकार देश में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी सहित फिनटेक इकोसिस्टम से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ लगातार कार्य कर रही है। समीक्षा मूल्यांकन के आधार पर समय-समय पर विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षी हस्तक्षेप किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वेब और मोबाइल ऐप खतरों से निपटने के लिए फरवरी, 2021 में डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में बैंकों को विभिन्न भुगतान माध्यमों जैसे इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड भुगतान आदि के लिए सुरक्षा नियंत्रण के सामान्य न्यूनतम मानकों को कार्यान्वित करने का अधिदेश दिया गया है।

ii. आरबीआई ने सितंबर, 2022 में डिजिटल ऋण संबंधी नियामक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाना और डिजिटल ऋण इकोसिस्टम को सुरक्षित और मजबूत बनाना है।

iii. आरबीआई ने नियामक मानकों को स्थापित और लागू करने, नैतिक आचरण को बढ़ावा देने, बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने, विवादों का समाधान करने और अपने सदस्यों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए 30.05.2024 को "फिनटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठन (संगठनों) के लिए रूपरेखा" (एसआरओ-एफटी फ्रेमवर्क) जारी की है।

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक ने मनी म्यूल की पहचान के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित टूल 'म्यूलहंटर' लॉन्च किया है और इसके उपयोग के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सलाह दी है।

v. इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) यूपीआई लेनदेन के लिए एआई/एमएल आधारित मॉडल का उपयोग करके अलर्ट जारी करने और लेनदेन को अस्वीकार करने के लिए सभी बैंकों को धोखाधड़ी निगरानी समाधान प्रदान करता है।

vi. नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी सहित सभी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर "1930" लॉन्च किया है। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) और 'चक्षु' सुविधा भी शुरू की है। 'चक्षु' नागरिकों को कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर मिले संदिग्ध फ्रॉड कम्युनिकेशन की रिपोर्ट करने में मदद करता है, जिनका उद्देश्य केवाईसी एक्सपायरी या बैंक अकाउंट अपडेट इत्यादि के नाम पर धोखा देना होता है।

vii. इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक लघु एसएमएस, रेडियो अभियान, साइबर अपराध की रोकथाम के संबंध में प्रचार के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जो धोखाधड़ियों और जोखिम न्यूनीकरण के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करता है।
